राजस्थान–सरकार

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका बुहाना जिला झुंझुनूं (राजस्थान)
(दिनांक 12.03.2022 शनिवार)
लोक अदालत बैंच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. – ......5/21......

GCMS NO- ....

नौरंग ..... **बनाम** गोकुल ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.2022	आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बैताल्लुका बुहाना न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी बैंच के समक्ष प्रस्तुत हुई। तहसीलदार बुहाना जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी उपस्थित । तहसीलदार बुहाना उपस्थित । प्रार्थी बैच के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया है कि इस पत्रावली में निर्णय व डिक्री दिनांक 23.04.2018 की पालना राजस्व रिकार्ड में हो चुकी है। अतः इस इजराय प्रार्थना पत्र आगे नही चलाना चाहता है। प्रार्थना पत्र को विड्रा करने की कृपा करे। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बुहाना की जांच रिपोर्ट के अनुसार नामान्तकरण संख्या 944 दिनांक 12.10.2021 के द्वारा पालना हो चुकी है। इसलिए प्रार्थना पत्र को आगे चलाया जाना कोई उचित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विड्रा किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। (श्रीकांत सदस्य अधिवक्ता (सुनील कुमार चौहान) सदस्य उपखण्ड अधिकारी बुहाना (दीपक कुमार) अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.04.12 15:41:03 IST
Reason: SelfAttested